राजस्थान सरकार

अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–सं.3(16)(11)/विविध/अभि/14/14985-15026 दिनांक 01/11/2019

परिपत्र

नवनियुक्त परिवीक्षाधीन सहायक अभियोजन अधिकारियों के प्राप्त रिकार्ड का अवलोकन करने पर पाया कि नकल प्रार्थना पत्र निर्णय होने के उपरांत अत्यन्त विलम्ब से पेश हुये हैं, नकल प्राप्त होने के पश्चात पत्रावलियां निर्धारित समयावधि के पश्चात भिजवाई गई है, न्यायालय के निर्णय में विधिक खामियां एवं अपील के आधार होने के बावजूद अपील प्रस्तावित नहीं की गई है, विमुक्ति टिप्पणी निदेशालय द्वारा निर्धारित प्रारूप (4 पृष्ठीय) में तैयार न की जाकर भिन्न प्रारूप (1 पृष्ठीय) में तैयार की गई है व सभी कॉलमों की पूर्ति करते हुये पूर्ण विवरण अंकित नहीं किया गया।

अभियोजन संविक्षा रिपोर्ट में माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये मार्गदर्शन का हवाला नहीं दिया जा रहा है, ऐसे दोष जिन्हें दूर नहीं किया जा सकता, पूर्ति योग्य कमियां इत्यादि को भिन्न भिन्न रूप से कॉलमवार नहीं दर्शाया गया है व प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर रिपोर्ट की प्रति पर लिये गये है, जबकि कार्यालय में इस हेतु रजिस्टर संधारित है।

निर्णित प्रकरणों में अपील के आधार होने के बावजूद अपील प्रस्तावित नहीं की गई, समस्त गवाहान एवं दस्तावेजात का प्रस्तुतीकरण नहीं किया गया, लिखित तर्क व न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

अतः समस्त सहायक निदेशक अभियोजन को निर्देर्शित किया जाता है कि आपके अधीनस्थ सहायक अभियोजन अधिकारियों/ अभियोजन अधिकारियों द्वारा किये गये कार्यो का उचित मूल्यांकन करे व उप निदेशक अभियोजन इस बात का निरीक्षण करे कि क्या सहायक निदेशक अभियोजन द्वारा प्राप्त रिकार्ड का मूल्यांकन कार्य की प्रकृति के अनुसार किया गया अथवा नही? साथ ही अपराध विमुक्ति टिप्पणी मे न्यायिक दृष्टांतो का हवाला देकर यह अंकित किया जावे कि अपील न करने के आधार किन दृष्टांतो पर आधारित है व ठोस आधार होने पर अपील आवश्यक रुप से प्रस्तावित की जावे। परिपत्र की पालना कड़ाई से की जावे।

(एस.एन.व्यास) 30x4
निदेशक अभियोजन
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थः–

1. समस्त उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
2. समस्त सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान ।

निदेशक अभियोजन
राजस्थान, जयपुर